

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

आदेश संख्या-भवन/अभि0प्र0-(नि0)-01-निबंधन-182/14...../पटना दिनांक- 21.4.16

कार्यालय आदेश

संवदेक श्री अशोक कुमार वल्द श्री आनन्दी प्रसाद ग्राम-गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल्स, जिला-कटिहार, बिहार निबंधन संख्या-द्वितीय (व्यक्तिगत)/08(भवन)/2009 द्वारा 71(भवन)/2014

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रंगरा चौक अस्पताल में घटिया निर्माण कार्य कराने के कारण कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल खगड़िया एवं अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल पूर्णियां द्वारा कालीकृत करने की अनुशंसा प्रेषित किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक-8312 दिनांक-07.08.14 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, अनुपालन में संवेदक ने अपना स्पष्टीकरण दिनांक-05.09.14 को समर्पित किया गया।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से अभिलेख की मांग की गई। तदनुसार मांगी गई अभिलेखों को विभागीय पत्रांक-10435 दिनांक 30.09.14 द्वारा संवेदक को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात संवेदक द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 13.03.15 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि भागलपुर जिला के अन्तर्गत रंगरा चौक में निर्मित अस्पताल भवन का सविस्तार स्थल निरीक्षण कराई जाय एवं प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में अपेक्षित सुधार कार्य एवं प्रथम तल्लों की निर्माण के स्थायित्व के संदर्भ में निर्णय लिया जाय। संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता उत्तर उपभाग से स्थल निरीक्षण कर मन्तव्य देने का पत्र निर्गत किया गया। तदुपरान्त सरकार के संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी के पत्रांक-9766 दिनांक-15.09.14 द्वारा अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल पूर्णियां द्वारा संवेदक को कालीकृत करने संबंधी अनुशंसा के आलोक में कालीकृत करने की अनुशंसा प्रेषित किया गया, बाद में अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल पूर्णियां ने अपने पत्रांक 124 दिनांक 06.02.16 द्वारा संवेदक श्री अशोक कुमार के द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने पर एकरारनामा के शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा प्रेषित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल पूर्णियां द्वारा प्रेषित मन्तव्य/प्रतिवेदन में संवेदक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा प्रेषित की गई। अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल पूर्णियां के अनुशंसा के आलोक में संवेदक का कृत्य बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली में निहित प्रावधानों के विरुद्ध पाया गया। फलस्वरूप बाध्यकारी स्थिति में संवेदक श्री अशोक कुमार वल्द श्री आनन्दी प्रसाद ग्राम-गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल्स, जिला-कटिहार, बिहार, निबंधन संख्या-द्वितीय (व्यक्तिगत)/08(भवन)/2009 को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 71(भवन)/2014

के कंडिका 11(क)(ii) में विहित प्रावधान के अनुरूप कालीकृत किया जाता है।

पत्रांक- 3645 (2)

प्रतिलिपि:- श्री अशोक कुमार वल्द श्री आनन्दी प्रसाद ग्राम-गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल्स, जिला-कटिहार, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

520  
11.5.16

11/5/16 999  
12.5.16

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

199

अभियंता प्रमुख  
जल संसाधन विभाग

8

ज्ञापांक- 3645 (अ) पटना दिनांक- 21.4.16

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता/ भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/ मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
इसके

ज्ञापांक- 3645 (अ) पटना दिनांक- 21.4.15

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आप अपने स्तर से उक्त सवैदक के विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
इसके

ज्ञापांक- 3645 (अ)

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
इसके

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग ।

30080  
16/16

ज्ञापांक:-11/विविध-06-07/2015

3792 पटना, दिनांक- 12.7.2016

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार (यांत्रिक सहित) अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल-2,3, एवं बाढ़ / निदेशक, कय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
इसके

सरकार के अवर सचिव ।